भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 69

(जिसका उत्तर मंगलवार, 24 फरवरी, 2015 को दिया गया)

<u>काली सूची में डाली गई कंपनियों को ठेका दिया जाना</u>

69. श्री अरविन्द कुमार सिंह :
श्री नीरज शेखर :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** दिनांक 23.12.2014 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 3341 के दिए गए उत्तर देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काली सूची में डाली गई कंपनियों के निदेशकों की निदेशक पहचान संख्या (डीआईएऩ) को अब तक काली सूची में नहीं डाले जाने के क्या कारण हैं;
(ख) काली सूची में डाली गई कंपनियों को दिए गए ठेके निरस्त नहीं किए जाने के क्या कारण हैं और जून, 2012 में इस प्रकार दिए गए ठेकों को किस तरह से दूसरी कंपनी को स्थानांतरित कर दिया गया; और
(ग) 17 अप्रैल, 2012 से काली सूची में डाले जाने के बाद उन्हें दिए गए ठेकों को दूसरी कंपनी को स्थानांतरित किए जाने तथा अपनी काली सूची की पहचान को छिपाने के लिए दोषियों के विरूद्ध कब तक प्राथमिकी दायर की जाएगी?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)

(क) से (ग) : किसी कंपनी के बोर्ड में निदेशक बनने के लिए निदेशक पहचान संख्या (डीआईएऩ) प्राप्त करना अनिवार्य अपेक्षा है। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें कंपनियों के 'काली सूची' में आने की स्थिति में निदेशक पहचान संख्या रद्द करना अपेक्षित हो। कंपनियों की निविदा प्रक्रिया आदि के मामले में 'कंपनियों को काली सूची में शामिल करना', यदि कोई हो, तो निविदाएं आमंत्रित करने वाली एंजेसियों/संगठनों द्वारा किया जाता है; इसका कंपनी अधिनियम से कोई संबंध नहीं है अतः 'काली सूची' से संबंधित सूचना कंपनी रजिस्ट्रारों के पास उपलब्ध नहीं है।

*****